कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख) जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

क्रमांक / 1035 / अ0भू0अ0 / स0अ0भू0अ0 / 2016 दन्तेवाड़ा, दिनांक 26/09/2016

प्रति,

खनिज अधिकारी
जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा

विषय :– आरती स्पंज एवं पावर लिमिटेड शंकर नगर रायपुर को वन अधिकारों की मान्यता के तहत अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति की कार्यवाही विवरण की प्रति प्रेषण बाबत।

संदर्भ :– कार्यालय अ0वि0अधि0 दंतेवाड़ा का पत्र क्रमांक /1575/अ.वि.अ/रीडर/2016 दंतेवाड़ा दिनांक 26.09.2016।

-----000-----

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। आरती स्पंज एवं पावर लिमिटेड शंकर नगर रायपुर को वन अधिकारों की मान्यता के तहत अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक आयोजित कर, कार्यवाही विवरण की अनुमोदित प्रति इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। आपकी ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

कलेक्टर
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

पृ0क्रमांक / 1035-A / भू0अ0 / स0अ0भू0अ0–1 / 2016 दन्तेवाड़ा, दिनांक 26/09/2016

प्रतिलिपि :–

1. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दंतेवाड़ा की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ।
2. आरती स्पंज एवं पावर लिमिटेड शंकर नगर रायपुर को सूचनार्थ।

कलेक्टर
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

प्राप्त
दिनांक
26/09/2016

MC-II
26/9/16

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Chhattisgarh

Office of the District Collector Dakshin Bastar Dantewada

No. ..841...........

Dated.26/09/2016

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 31.55 hectares of Protected forest land proposed to be diverted in favour of Aarti Sponge & Power Limited (name of user agency) for ……….. (purpose for diversion of forest land) in Dantewada district falls within jurisdiction of Alnar village(s) in Bade Bacheli tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 31.55 hectares of Protected forest Land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee (s), Gram Panchayat(s), Sub-Division Level Committee (s) and the district Level Committee are enclosed as annexure ….. to ……… annexure

(b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications in vernacular/ local language) have been placed before each concerned gram Panchayat of forest- dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) the each of concerned Gram Panchayayt(s), has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram Panchayat of Alaaar villages(s) is enclosed as annexure …… to annexure ………

(d) the discussion and decision on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Panchayat present;

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section. 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Panchayat have given their consent to it;

(f) the right of Primitive Tribal Groups and Pre-Agriculture Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of the FRA.

Saurabh Kumar
Collector
Dakshin Bastar Dantewada, C.G.

कलेक्टर
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

C:\Users\Pradhan Infotech\Desktop\Collector Certificate Annxure- II.Doc

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

//ज्ञापन//

क्रमांक/1575/अ.वि.अ./रीडर/2016 दन्तेवाड़ा दिनांक 26/09/2016

प्रति,

कलेक्टर,
(भू–अभिलेख)
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

विषय :– आरती स्पंज एवं पावर लिमिटेड शंकर नगर रायपुर को वन अधिकारों की मान्यता के तहत् अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति की कार्यवाही विवरण की प्रति प्रेषण बाबत्।

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वन भूमि पर काबिज व्यक्तियों को वन अधिकार पत्र दिये जाने का प्रावधान किया गया है, किन्तु ग्राम पंचायत गुमियापाल के ग्रामवासियों द्वारा वन अधिकार पत्र लेने से इनकार करने एवं दावा आवेदन भी प्रस्तुत नहीं करने के कारण वन अधिकार पत्र वितरण नहीं किया गया है। उक्त संबंध में ग्राम पंचायत गुमियापाल में आयोजित बैठक दिनांक 23/09/2016 को ग्रामवासियों के द्वारा वन अधिकार पत्र लेने से इनकार करने के कारण उक्त ग्राम पंचायत में वन अधिकार पत्र वितरण नहीं होने का प्रस्ताव पारित किया गया है।

उक्त प्रस्ताव के आधार पर आरती स्पंज एवं पावर लिमिटेड शंकर नगर रायपुर को ग्राम पंचायत गुमियापाल आश्रित ग्राम अलनार तहसील बड़ेबचेली जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा के ख.नं. 416, 417 एवं 418 कुल रकबा 31.55 हेक्टेयर भूमि में खनिज लौह अयस्क का खनि पट्टा स्वीकृति हेतु दिनांक 24/09/2016 को अनुविभाग स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें आरती स्पंज एवं पावर लिमिटेड शंकर नगर रायपुर को वन भूमि के प्रत्यावर्तन करने हेतु सर्व सम्मति से अनुशंसा प्रस्ताव पारित किया गया। पारित प्रस्ताव की प्रति अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.),
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

पृ. क्रमांक/1575-1/अ.वि.अ./रीडर/2016 दन्तेवाड़ा दिनांक 26/09/2016

प्रतिलिपि :–

आरती स्पंज एवं पावर लिमिटेड शंकर नगर रायपुर की ओर सूचनार्थ।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.),
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

वन अधिकारों की मान्यता के अन्तर्गत गठित अनुविभाग स्तरीय समिति की कार्यवाही विवरण

यूजर एजेन्सी आरती स्पंज एण्ड पावर लिमिटेड, रायपुर द्वारा प्रस्तावित लौह अयस्क ग्राम अलनार तहसील बड़े बचेली जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 416,417 एवं 418 कुल रकबा 31.55 हेक्ट0 भूमि में खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा स्वीकृति हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 6 (3) के प्रावधान के अन्तर्गत गठित एवं प्रदत्त कर्तव्यों/अधिकारों के निर्वहन में नियम 2008 के नियम 6 एवं 14 में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अन्तर्गत अनुविभाग स्तरीय बैठक दिनॉक 24.09.2016 को आयोजित की गई, जिसमें वन अधिकारो की मान्यता के तहत् गठित अनुभाग स्तरीय समिति के निम्न अधिकारी/सदस्य गण उपस्थित हुये :–

01	श्री दिलीप अग्रवाल	अनुविभागीय अधिकारी (रा0) दन्तेवाड़ा।
02	श्री पद्माकर रावत	अनुविभागीय अधिकारी (वन) दन्तेवाड़ा।
03	श्रीमती सुनीता भास्कर	अध्यक्ष, जनपद पंचायत, दन्तेवाड़ा।
04	श्री सुदराम भास्कर	अध्यक्ष, जनपद पचायत, गीदम।
05	श्रीमती मुचाकी मासे	अध्यक्ष, जनपद पंचायत कुआकोण्डा।
06	श्रीमती लिंगे पोडियाम	उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत, कटेकल्याण।
07	मण्डल संयोजक	आदिम जाति कल्याण विभाग, दन्तेवाड़ा।

उपरोक्त प्रयोजनार्थ उपखण्ड स्तरीय समिति दन्तेवाड़ा की बैठक दिनॉक 24.09.2016 को अनुभागीय अधिकारी (रा0) दन्तेवाड़ा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। वन भूमि पर वन अधिकार के अधिभोग के संबंध में ग्राम–पंचायत गुमियापाल की ग्राम सभा में पारित प्रस्ताव पर विचार किया गया और पाया गया कि ग्राम पंचायत गुमियापाल एवं आश्रित ग्राम अलनार, बेंगपाल एवं बड़ेपल्ली में ग्रामवासियों के द्वारा वन अधिकार पत्र बनाने एवं वितरण करने के लिए मना किये जाने के कारण उक्त ग्रामों में वन अधिकार पत्र हेतु दावा आवेदन प्राप्त न होने से व्यक्तिगत/ सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरण नहीं किया जाना पाया गया है। इसकी पुष्टि हेतु संबधित ग्राम पंचायत द्वारा कार्यवाही विवरण प्रति प्राप्त हुई है। जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा भी उक्त ग्राम पंचायत एवं आश्रित ग्राम में वन अधिकारों की मान्यता के तहत् वन अधिकार पत्र वितरण नही होने का उल्लेख कर प्रस्ताव पारित किया गया है।

उपरोक्त वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति /अन्य परम्परागत वन निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है तथा अनुसूचित जनजाति व आदि वनवासी को उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार पत्र प्रदत्त नही किया गया है।

अतः प्रस्तावित वन भूमि में आरती स्पंज एण्ड पॉवर लिमिटेड, रायपुर को समिति द्वारा वन भूमि के प्रत्यावर्तन करनें हेतु सर्व सम्मति से अनुशंसा की जाती है।

24/09/2016

अनुविभागीय अधिकारी (वन)
दन्तेवाड़ा
उप वन मंडलाधिकारी
दन्तेवाड़ा (सा.)
उप वन मंडल

अध्यक्ष, जनपद पंचायत
दन्तेवाड़ा

अध्यक्ष, जनपद पंचायत
कुआकोण्डा

अध्यक्ष, जनपद पंचायत
गीदम

उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत
कटेकल्याण
जनपद पंचायत कटेकल्याण
जिला द. ब. दन्तेवाड़ा

मण्डल संयोजक
आदिम जाति कल्याण विभाग, दन्तेवाड़ा

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
दन्तेवाड़ा

कार्यवाही विवरण दिनांक 25/09/16

आरती स्पंज आयरन एंव पावर लिमिटेड शंकर नगर, रायपुर हेतु ग्रामपंचायत गुमियापाल के आश्रित ग्राम अलनार तहसील बडे बचेली के वनभूमि के प्रकरण मे अ.जा.जा. एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधि. की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत खनिपट्टा की स्वीकृति हेतु अनुभाग स्तरीय वन समिति दन्तेवाड़ा की बैठक दिनांक 25/09/2016 का कार्यवाही विवरण।

आज दिनांक 25/09/2016 को अनुभाग स्तरीय वन समिति दन्तेवाड़ा की बैठक मे आरती एंव पावर लिमिटेड, शंकर नगर रायपुर को ग्रामअलनार तहसील बडेबचेली मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 516, 517 एंव ~~516~~ 518 कुल रकबा 3.55 हेक्टर भूमि मे खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा हेतु ग्राम पंचायत गुमियापाल की बैठक नकल प्राप्त हुआ जिसमे ग्राम पंचायत गुमियापाल एव आश्रित ग्राम अलनार बेंगपाल, बडे पल्ली मे वन अधिकार पत्र किसी भी कृषक के नाम तैयार नही किया जाना व न ही वितरण किया जाना प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव का अवलोकन किया। उपस्थित सदस्यो से उक्त क्षेत्र मे वन अधिकार पत्र वितरण के संबंध मे चर्चा उपरान्त सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित कर जिला स्तरीय समिति दन्तेवाड़ा को प्रेषण किये जाने बाबत सहमति दिया गया। ।

[signature]
अनुविभागीय अधिकारी दन्तेवाड़ा।
दन्तेवाडा (सा.)
उप वन मंडल

[signature]
अ० ज० प० दन्तेवाड़ा।

अ० ज० प० गीदम

[signature] [signature]

कार्यालय, ग्राम–पंचायत गुमियापाल

कार्यवाही बैठक की नकल

दिनांक 23/09/2016

विकास खण्ड कुआकोण्डा तहसील जिला बड़े बचेली जिला द०ब० दन्तेवाड़ा (छ०ग०)

सत्य प्रतिलिपि

क्र.	उपस्थित पंचों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
	श्री नरेश तेलाम सरपंच	ग्राम पंचायत गुमियापाल में वन अधिकार पत्र वितरण के सम्बन्ध में	आज दिनांक 23/09/2016 को सरपंच ग्राम पंचायत गुमियापाल की अध्यक्षता में बैठक रखा गया। बैठक में पंचगणों उपस्थित हुए उपस्थित सदस्यों में चर्चा में ग्राम पंचायत गुमियापाल एवं आश्रित ग्राम आलनार, डोंगपाल, बड़ेपल्ली में वन अधिकार पत्र किसी भी कृषक के नाम से तैयार नहीं किया गया है। क्योंकि वन अधिकार पत्र बनाने एवं वितरण करने के लिए ग्रामवासियों द्वारा मना किया गया है। वन अधिकार के तहत सामुदायिक वन अधिकार पत्र भी वितरण नहीं किया गया है।	उपरोक्त प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा सर्व सम्मति से पारित किया गया।	सही
2	श्री हुर राम उपसरपंच				
3	श्री आरजू राम पंच				
4	श्री कुमा राम पंच				
5	श्री हरीश कुमार पंच				
6	श्री लक्ष्मण राम पंच				
7	श्री संतोष कुमार पंच				
8	श्री भीमा राम पंच		उपरोक्त प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा सर्व सम्मति से पारित किया गया।		
	श्रीमती सोमली बाई पंच				
	श्रीमती कोसी बाई पंच				सही

......19.7........ दिनांक 23/09/2016

सचिव
ग्राम पंचायत गुमियापाल
जनपद पंचायत कुआकोण्डा
सचिव

सरपंच
ग्राम पंचायत गुमियापाल
जनपद पंचायत कुआकोण्डा

ग्राम पंचायत गुमियापाल